कार्यालय नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

मध्यप्रदेश,भोपाल.

क्रमांकGPR/पेपर/32/2/0002/2023/ 2068 भोपाल, दिनांक 07/12/2023

## ई-निविदा सूचना

शासकीय कैलेण्डर एवं नोटबुक मुद्रण हेतु आर्ट पेपर 150 जीएसएम के क्रय हेतु परिवहन, पैकिंग, लैब परीक्षण की व्यय राशि एवं समस्त कर सहित पेपर निर्माता मिल/अधिकृत डीलर से MPSEDC विभाग की वेबसाइट www.mptenders.gov.in से ऑनलाईन की-डेट्स अनुसार दरें आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 21-12-2023 को अपरान्ह 2:00 बजे उपस्थित निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष पोर्टल से डाउनलोड की जावेगी।

2. ऑनलाईन निविदा की हार्डकापी, पेपर नमूनें अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, शर्तों पर सहमति हस्ताक्षर सहित, की-डेट्स अनुसार कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

3. सूचना, तकनीकी विविरण, नियम एवं शर्तों को वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in पर भी अवलोकन हेतु रखा गया है।

4.किसी भी प्रकार का संशोधन/सुधार/परिवर्तन होने की सूचना www.mptenders.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

नियंत्रक,

शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,

म०प्र०,भोपाल.

## Key Dates and Time

| | |
|---|---|
| Bid closing & last date & time for submission on online Bids | 20-12-2023 upto 1.00 pm |
| Last Date & time for submission of Hard Copy of technical Bids and | 21-12-2023 upto 1.00 pm |
| Online Opening of the Technical Bid | 21-12-2023upto 2.00 pm |

# तकनीकी विवरण एवं शर्ते

| SN | Specificatin | packing | Quantity | Delivery |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Art Paper 150 GSM<br>(Gloss fnish on both side coating)<br>As Per IS 4658 : 2019 latest if any<br>SIZE 61 X 91 CM Sheet | 500 Sheet | 50 MT | 10 Days |

1.1 निविदा प्रपत्र राशि रूपये 5,000=00 एवं प्रोसेसिंग फीस/सर्विस टैक्स का भुगतान ऑनलाईन किया जाकर निविदा प्रपत्र डाउनलोड किया जा सकता है।

1.2 EMD राशि रूपये 1,80,000.00 ऑनलाईन भुगतान MPSEDC विभाग के पोर्टल से कराना होगा।

निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्यत: ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा :-

1.3 फर्म का स्थापना पंजीयन।

1.4 फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन।

1.5 विगत तीन वर्षो का प्रमाणित टर्नओवर।

1.6 कार्य का करने का अनुभव।

1.7 निविदा की शर्तो स्वीकार की सहमति स्वरूप पदमुद्रा अंकित हस्ताक्षर।

1.8 अधिकृत डीलर को मिल का प्राधिकार पत्र। मिल का BIS जीवित लाइसेंस संलग्न करना।

2- मिल के लेटर हैड पर मिल की सेल्फ लैब टेस्ट रिपोर्ट एवं पेपर के 20 सेम्पल ए/4 आकार में निविदाकार की पदमुद्रा, जीएसएम एवं हस्ताक्षर सहित (हार्डकापी) एवं अन्य वांछित समस्त दस्तावेज ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।

3- फर्म के लेटर हैड पर ब्लेक लिस्ट नहीं होने का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिर्वाय है।

4- कार्य के अनुभव स्वरूप शासकीय विभागों में प्रदायित पेपर के प्रदाय आदेश व निविदा में चाहे गये अन्य समस्त दस्तावेज प्रमाणित कर संलग्न करना अनिवार्य होगा।

5- पैंकिंग As Per IS 6211:1993 के अंतर्गत किया जाना अनिवार्य है।

6- निविदाकार द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजों में निविदाकार फर्म की पदमुदा एवं हस्ताक्षर होना अति आवश्यक है।

7- पेपर प्रदाय उपरांत संतुष्टता के आधार पर 80% राशि का भुगतान किया जावेगा एवं शेष 20% राशि का भुगतान इस कार्यालय द्वारा गुणवत्ता का परीक्षण शासकीय लैब से कराने एवं रिपोर्ट मानक अनुसार पाये जाने के उपरांत ही किया जावेगा। लैब परीक्षण में होने वाला व्यय का भुगतान निविदाकार द्वारा किया जावेगा।

8- एल-1 निविदाकार को अनुबंध निष्पादित कर कुल व्यय राशि की 5% सुरक्षा निधि का FDR राष्ट्रीयकृत बैंक से नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल के पक्ष में 12 माह की अवधि का तैयार कर जमा कराना होगा।

9- एल-1 निविदाकार को प्रदाय आदेश जारी किये जाने के **10 दिवस (दस दिवस) के अंदर संपूर्ण पेपर** का प्रदाय कार्यालय उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म०प्र०) 462 011 में किया जाना अनिवार्य है। **संपूर्ण पेपर 10 दिवस में प्रदाय करने की क्षमता रखने वाले निविदाकार ही भाग लें।** यदि चयनित निविदाकार द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा जमा EMD राशि राजसात करते हुये शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की श्रेणी के अंतर्गत ब्लैक लिस्टेड करते हुये कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

10- पेपर की मात्रा में भण्डार क्रय नियम प्रावधान अन्तर्गत कमी-वृद्धि की जा सकेगी।

11- सामग्री प्रदायगी में विलम्ब की स्थित में 1% प्रति सप्ताह के मान से शास्ति अधिरोपित जावेगी।

12- शासन द्वारा समय-समय पर जारी भुगतान संबंधी प्रतिबंधों या अपरिहार्य परिस्थिति आने के कारण यदि भुगतान में विलम्ब की स्थिति निर्मित होती है, तो लम्बित भुगतान पर किसी भी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा।

13- यह निविदा आमंत्रण किसी प्रकार का कार्यादेश नहीं है। किसी भी निविदा को स्वीकार एवं अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म०प्र०,भोपाल का होगा।

14- किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में अनुबन्ध के प्रावधाना के अन्तर्गत प्रकरण प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को भेजा जावेगा और उनके निर्णय को दोनों पक्षों पर बन्धनकारी होगा। आर्बीट्रेशन एवं काउंसिलिएशन एक्ट मध्यप्रदेश मध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री,
म०प्र०,भोपाल.